



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940
No. 813]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1112(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में दूरसंचार संवर्ग समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- प्रारंभिक गठन**— नियमित आधार पर समूह 'क' का पद धारण करने वाले उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), सेनानी (दूरसंचार), द्वितीय कमान (दूरसंचार), उप सेनानी (दूरसंचार) तथा सहायक सेनानी (दूरसंचार) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख अर्थात् 17 जुलाई, 2018 से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त समझा जाएगा और उक्त पद पर उनकी निरंतर सेवा को इन नियमों के जारी होने से ठीक पहले परिवीक्षा और प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- वरिष्ठता.**—सीधे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता उनके द्वारा भर्ती परीक्षा और बुनियादी वृत्तिक पाठ्यक्रम में उनके द्वारा प्राप्त 50:50 अनुपात के अंकों के साथ जोड़ कर अवधारित की जाएगी।
- चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता**— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे अधिकारी जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में हैं, इन नियमों के उपाबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए शेष-1 से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:-

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात, चिकित्सा अधिकारी का दिया गया चिकित्सा वर्गीकरण:-

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा कम होती हुई कार्यात्मक क्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात अंक लिखे जाएंगे, सिवाए उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस 1 एच 1 ए 1 पी 1 ई 1 लिखने के बजाए शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंको का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्गस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों का प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) 'एस' घटक को छोड़कर नेमी या अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्याधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्यों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बिमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. अन्यदेशीय की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

9. अधिवर्षिता.—(1) ऐसे अधिकारी जो उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे तथा अधिकारी जो सहायक सेनानी (दूरसंचार), उप सेनानी (दूरसंचार), द्वितीय कमान (दूरसंचार) एवं सेनानी (दूरसंचार) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष अथवा सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

10. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप महानिरीक्षक (दूरसंचार)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अनुसूचितवर्गीय)	स्तर 13क (131100-216600 रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) स्तर 13 के कमांडेंट (दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में दो वर्ष एवं समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जो विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति बनती है तो उसका गठन किस प्रकार होगा ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. सचिव, गृह मंत्रालय — अध्यक्ष 2. महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. अन्य बलों से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) — सदस्य 4. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का नामांकित व्यक्ति — सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. कमांडेंट (दूरसंचार)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 13 (123100—215900 रु.)	चयन पद
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (78800—209200) स्तर 12 के द्वितीय कमान(दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में पांच वर्ष एवं समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जिसने विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|---|------------|
| (1) महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | — अध्यक्ष; |
| (2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय | — सदस्य; |
| (3) महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य; |
| (4) उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य |

लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. द्वितीय कमान (दूरसंचार)	07* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 12 (78800—209200)	चयन पद
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स 11 (67700—208700 रु.) स्तर के उप सेनानी (दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में पांच वर्ष एवं समूह 'क' में कुल दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जो विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|---|------------|
| (1) अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | — अध्यक्ष; |
| (2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय | — सदस्य; |
| (3) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य; |
| (4) उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य |

लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उप सेनानी (दूरसंचार)	26* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 11 (67700-208700 रु.)	चयन पद
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100 % प्रोन्नति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) स्तर 10 के सहायक सेनानी (दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जो विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; (3) गृह मंत्रालय का अधिकारी जिसका स्तर निदेशक या उप सचिव से कम न हो - सदस्य; (4) उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक कमांडेंट (दूरसंचार)	89* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 10 (56100-177500)	चयन पद

(6)	(7)																																		
<p>30 वर्ष से अधिक न हो</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सहायक कमांडेंट (केन्द्रीय पुलिस बल) परीक्षा के लिए नियमों में निर्धारित की गई हो।</p> <p>टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान</p>	<p>(i) अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दूरसंचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रानिक्स और संचार या इलैक्ट्रानिक्स और उपकरण या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) शारीरिक और चिकित्सीय मानक:</p> <table border="0"> <tr> <td>पुरुष</td> <td>महिला</td> </tr> <tr> <td>ऊँचाई</td> <td>165 सेन्टीमीटर</td> </tr> <tr> <td>छाती</td> <td>157 सेन्टीमीटर</td> </tr> <tr> <td></td> <td>लागू नहीं।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(बिना फुलाये)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>86 सेन्टीमीटर</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(फुलाने पर)</td> </tr> <tr> <td>भार</td> <td>50 किलोग्राम</td> </tr> <tr> <td>दृष्टि(चश्मे सहित या उसके बिना)</td> <td>कद के अनुपातिक</td> </tr> <tr> <td>दूर की दृष्टि</td> <td>नजदीक की दृष्टि</td> </tr> <tr> <td>बेहतर आँख खराब आँख</td> <td>बेहतर आँख खराब आँख</td> </tr> <tr> <td>(सुधार के बाद दृष्टि)</td> <td>(सुधार के बाद दृष्टि)</td> </tr> <tr> <td>6/6</td> <td>6/12</td> </tr> <tr> <td>या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6/9</td> <td>6/9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जे-I</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जे-II</td> </tr> </table>	पुरुष	महिला	ऊँचाई	165 सेन्टीमीटर	छाती	157 सेन्टीमीटर		लागू नहीं।		(बिना फुलाये)		86 सेन्टीमीटर		(फुलाने पर)	भार	50 किलोग्राम	दृष्टि(चश्मे सहित या उसके बिना)	कद के अनुपातिक	दूर की दृष्टि	नजदीक की दृष्टि	बेहतर आँख खराब आँख	बेहतर आँख खराब आँख	(सुधार के बाद दृष्टि)	(सुधार के बाद दृष्टि)	6/6	6/12	या		6/9	6/9		जे-I		जे-II
पुरुष	महिला																																		
ऊँचाई	165 सेन्टीमीटर																																		
छाती	157 सेन्टीमीटर																																		
	लागू नहीं।																																		
	(बिना फुलाये)																																		
	86 सेन्टीमीटर																																		
	(फुलाने पर)																																		
भार	50 किलोग्राम																																		
दृष्टि(चश्मे सहित या उसके बिना)	कद के अनुपातिक																																		
दूर की दृष्टि	नजदीक की दृष्टि																																		
बेहतर आँख खराब आँख	बेहतर आँख खराब आँख																																		
(सुधार के बाद दृष्टि)	(सुधार के बाद दृष्टि)																																		
6/6	6/12																																		
या																																			
6/9	6/9																																		
	जे-I																																		
	जे-II																																		

और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पण: अभ्यर्थी को अर्न्तजानु, सपाट पांव, शिरा या आँखों से तिर्यक नहीं होना चाहिए और उनका उच्च वर्ण दर्शन होना चाहिए। अभ्यर्थी का इश्हारा परीक्षण तथा इडरीच-ग्रीन लेंटर्न परीक्षण द्वारा वर्ण दर्शन परीक्षण किया जाएगा। उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसी कोई शारीरिक त्रुटि नहीं होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो।
--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा 50% (पचास प्रतिशत)। (ii) सीधी भर्ती द्वारा 50% (पचास प्रतिशत)।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100) स्तर 8 के सूबेदार मेजर (दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की गई हो तथा निर्धारित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या कर लिए हैं।</p> <p>न हो तो</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100) स्तर 8 के सूबेदार मेजर (दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में निरीक्षक (दूरसंचार) अथवा सूबेदार मेजर(दूरसंचार) पद पर संयुक्त सेवा तीन वर्ष पूर्ण की गई हो तथा निर्धारित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>दोनों न होने पर</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400) स्तर 7 के निरीक्षक(दूरसंचार) द्वारा इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की गई हो तथा निर्धारित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) गृह मंत्रालय का अधिकारी जिसका स्तर निदेशक या उप सचिव से कम न हो — सदस्य;</p> <p>(4) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p> <p>समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) गृह मंत्रालय का अधिकारी जिसका स्तर निदेशक या उप सचिव से कम न हो — सदस्य;</p> <p>(4) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

व्याख्यात्मक ज्ञापन : गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चार विशिष्ट काडरों (दूरसंचार, मोटर परिवहन, आयुधिक तथा इलैक्ट्रॉनिक आंकडा प्रसंस्करण काडर) का सामान्य ड्यूटी काडर के साथ विलय के संबंध में संशोधित भर्ती नियम अर्थात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 बनाए गए थे तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811(अ) दिनांक

05 अक्टूबर, 2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे। उक्त भर्ती नियमों के तहत पांच काडरों की एक संयुक्त वरीयता सूची, महानिदेशालय (कार्मिक) भा.ति.सी.पु.का.ज्ञा.सं.161 दिनांक 26 नवंबर, 2010 के तहत बनाई गई थी जिसे बाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय ने पांचों काडरों को पृथक कर दिया तथा सामान्य ड्यूटी काडर के पृथक भर्ती नियम अधिसूचना संख्या 655(अ) दिनांक 17 जुलाई, 2018 बनाए गए, इस प्रकार संयुक्त सामान्य ड्यूटी काडर के भर्ती नियमों के साथ साथ सभी उक्त पदों को मिलाकर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह क' पद) भर्ती नियम, 2010 त्रुटिवश अधिक्रमित हो गए। इन नियमों का नियम 4 वर्तमान में उक्त पदों पर कार्य कर रहे पदधारियों की सेवा को नियमित करने के मददेनजर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नियम 4 के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. I-12013/03/2015-संग.(पार्ट-3)]

आर.बी.एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2018

G.S.R. 1112(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Telecommunication Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbents holding the posts of Deputy Inspector General (Telecommunication), Commandant (Telecommunication), Second in Command (Telecommunication), Deputy Commandant (Telecommunication) and Assistant Commandant (Telecommunication) on regular basis on the date of issue of this notification shall be deemed to have been appointed with effect from 17 July, 2018 in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the said posts immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

5. Seniority.—The seniority of direct entrants shall be determined by adding together the marks obtained by them in the recruitment test and the basic professional course in the ratio of 50:50.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those officers who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.— For the purposes of this rule, SHAPE-I means Medical Category defined as under :-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical capacity

E - Eye sight

- (ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-
- (a) fit for all duties anywhere;
 - (b) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears/eyes;
 - (c) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignment;
 - (d) temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave;
 - (e) permanently unfit for duties.

7. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.—(1) Officers holding the ranks of Deputy Inspector General (Communication) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years and officers holding the ranks of Assistant Commandant (Communication), Deputy Commandant (Communication), Second-in-Command (Communication) and Commandant (Communication) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. Sixty years or Fifty Seven years, as the case may be.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Inspector General (Telecommunication)	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial).	Level 13A (Rs.131100-216600)	Selection post.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% By promotion.
In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption to be made.				
(11)				
By Promotion:				
<p>From amongst Commandant (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 13 of the pay matrix (Rs. 123100-215900) with two years regular service in the grade with total twenty years Group A service and having successfully completed the prescribed the pre-promotional training course.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>				

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Home Affairs. - Chairman;</p> <p>(2) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) One of the Directors General from other Force (to be nominated by the Chairman) - Member;</p> <p>(4) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member;</p> <p>(5) Nominee of Department of Personnel and Training - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Commandant (Telecommunication)	03* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 13 (Rs. 123100-215900)	Selection post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% By promotion.

(11)

By Promotion:

From amongst Second-in-Command (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in the level 12 of the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years regular service in the grade with fifteen years Group 'A' service and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director General, Indo Tibetan Border Police Force. - Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member; (3) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Second in Command (Telecommunication)	07* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 12 (Rs. 78800-209200)	Selection Post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% by promotion.

(11)

By Promotion:

From amongst Deputy Commandant (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 11 of the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade with ten years Group 'A' service and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Additional Director General, Indo Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; (3) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Commandant (Telecommunication)	26* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 11 (Rs. 67700-208700)	Selection post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% by promotion.
(11)				
By Promotion:				
From amongst Assistant Commandant (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in the level 10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.				
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-				Not applicable.
(1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;				
(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;				
(3) An officer not below the level of Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member;				
(4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
5. Assistant Commandant (Telecommunication)	89* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 10 (Rs. 56100 - 177500)	Selection post.														
(6)	(7)																	
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be such as may be provided by the central Government from time to time in the rules for the Assistant Commandant (Central Police Force) Examination. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	(i) Essential: Bachelors Degree in Telecommunication Engineering or Electronics and Communication or Electronics and Instrumentation or Engineering from a recognized University or Institution. (b) Physical and Medical Standards: - <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Male</td> <td style="text-align: center;">Female</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Height</td> <td style="text-align: center;">Height</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">165 centimeters</td> <td style="text-align: center;">157 centimeters</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chest</td> <td style="text-align: center;">Chest</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded)</td> <td style="text-align: center;">Not Applicable</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Weight</td> <td style="text-align: center;">Weight</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50kgs</td> <td style="text-align: center;">Proportionate to height.</td> </tr> </table>				Male	Female	Height	Height	165 centimeters	157 centimeters	Chest	Chest	81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded)	Not Applicable	Weight	Weight	50kgs	Proportionate to height.
Male	Female																	
Height	Height																	
165 centimeters	157 centimeters																	
Chest	Chest																	
81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded)	Not Applicable																	
Weight	Weight																	
50kgs	Proportionate to height.																	

<p>applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>Eye Sight (with or without glasses)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Distant Vision</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Near Vision</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Better eye</td> <td style="text-align: center;">Worse eye</td> <td style="text-align: center;">Better eye</td> <td style="text-align: center;">Worse eye</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Corrected Vision)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Corrected Vision)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6/6</td> <td style="text-align: center;">6/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Or</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6/9</td> <td style="text-align: center;">6/9</td> <td style="text-align: center;">J.I</td> <td style="text-align: center;">J.II</td> </tr> </table> <p>The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>		Distant Vision		Near Vision		Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye	(Corrected Vision)		(Corrected Vision)		6/6	6/12			Or				6/9	6/9	J.I	J.II
Distant Vision		Near Vision																								
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye																							
(Corrected Vision)		(Corrected Vision)																								
6/6	6/12																									
Or																										
6/9	6/9	J.I	J.II																							
(8)	(9)	(10)																								
Not applicable.	Two years.	<p>(i) Fifty per cent of the vacancies by promotion; (ii) Fifty per cent of the vacancies by direct recruitment.</p>																								
(11)																										
<p>By Promotion:</p> <p>From amongst Subedar Major (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with two years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.</p> <p>failing which:</p> <p>Subedar Major (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with three years combined service as Subedar Major or Inspector (Telecommunication) and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.</p> <p>failing both:</p> <p>From amongst Inspector (Telecommunication) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>																										
(12)		(13)																								
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) An officer not below the level of Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member;</p> <p>(4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) An officer not below the level of Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member;</p> <p>(4) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</p>		<p>Consultation with Union Public Service Commission shall be necessary for direct recruitment.</p>																								

Explanatory Memorandum.- Consequent upon approval of Government of India, Ministry of Home affairs, Indo-Tibetan Border Police Force regarding merger of four specialist cadres (Telecom, Motor Transport, Armourer and Electronic Data Processing cadres) with General Duty Cadres, the revised Recruitment Rules, namely, the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010 were framed and published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 811(E), dated the 5th October, 2010. In furtherance of the said recruitment rules, a combined seniority list of the five cadres was prepared vide Dte(Pers) ITBP office memo No. 161 dated the 26th November, 2010 which was later on quashed by the Hon'ble High Court of Delhi. Consequently, Ministry of Home Affairs has demerged all five cadres and the recruitment rules of segregated General duty cadre have been framed vide notification number 655(E) dated the 17th July, 2018, thereby the recruitment rules of unified General Duty cadre *inter-alia* consisting of all the above said posts i.e. the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010 have been superseded mistakenly.

The rule 4 of these rules shall come into force with retrospective effect with a view to regularize the services of the existing incumbents working on regular basis to the said posts and It is certified that by giving retrospective effect to rule 4, no one is likely to be adversely affected.

[F. No. I. 12013/3/2015-Org.(Vol-3)]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)